फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती देवीबाई बनाम विपक्षी : श्री तुलसीराम व अन्य

किस्म मुकदमा – 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 18/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 03.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। शामिल फाईल रहें। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी के कथनानुसार मौजा पाणुन्द पटवार हल्का पाणुन्द तहसील कानोड जिला उदयपुर में साविक आराजी न. 1008, 1010 किता 2 रकबा 0.3800 है. स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम हिस्सा बराबर से अंकित है। वादग्रस्त आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैत्रिक भूमि होकर हमारे मोरूस पिता गोविन्दा जी के वक्त से चली आ रही है। गोविन्दा जी के उनकी पत्नी पन्नीबाई से दो पुत्र तुलसीराम एवं नाथूलाल एवं दो पुत्रीयां मांगीबाई एवं देवीबाई हुए। गोविन्दा जी का दिनांक 22.03.1997 को निधन हो चुका है जिनके वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 विधिक वारिसान व उतराधिकारी होकर उनके अलावा अन्य कोई वारिसान व उत्तराधिकारी नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात वादीया की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैत्रिक भूमि होकर वादीया के पिता गोविन्दा पिता पेमा जी के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की थी ओर गोविन्दा जी के वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 विधिक वारिसान होकर गोविन्दा जी की मृत्यु के समय वादीया जाईन्दा पुत्री मोजूद थी लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने मुझ वादीया को मेरे हक हिस्से की भूमि से वंचित करने की नीयत से राजस्व कर्मचारी से मिलकर नामान्तकरण संख्या 559 खोला गया तब पटवारी हल्का ने मृतक के सभी विधिक वारिशान की कोई जांच नही की ओर न ही ग्राम पंचायत से सजरा प्रमाणित करवाया ओर वादीया को मृतक गोविन्दा की जाईन्दा पुत्री होते हूए सजरे में वादीया को पुत्री के रूप में नहीं दर्शाया ओर मृतक गोविन्दा की उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने अपने नाम विरासत के उक्त नामान्तकरण से दर्ज करवा जी जब कि विवादित भूमि में वादीया का जन्म से ही एवं विरासत के आधार पर हक अधिकार स्वत्व हित निहित है ओर विवादित भूमि में वादीया का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा हक अधिकार होकर इसी हक हिस्से अनुसार अनुसार वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मौके पर संयुक्त रूप से काविज हो काश्त करते चले आ रहे है। अतः वादीया द्वारा अपने हिस्से की घोषणा चाही गई।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3, 4 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत कर बताया कि वादीया मृतक गोविन्दा जी औदिच्य की जायन्दा पुत्री है सेहवन से मृतक गोविन्दा पिता

पेमा जो औदिच्य की विरासत के नामान्तकरण मे वादिया का नाम अंकित होने से रह गया है यदि वादिया के नाम पर विरासत से 1/5 हिस्सा भूमि राजस्व रेकर्ड मे अंकित की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। शेष प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से पाया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तकरण संख्या 559 से पाया कि श्री गोविन्दा पिता पेमा ब्राहमण का विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम पर ही खोला गया है। स्वयं प्रतिवादी संख्या 3, 4 द्वारा अपने जवाब में वादीया को श्री गोविन्दा पिता पेमा की पुत्री होना स्वीकार किया है साथ ही स्वीकार किया है कि मृतक गोविन्दा पिता पेमा के विरासत के नामान्तकरण के समय वादीया का नाम अंकित होने से रह गया है तथा वादीया के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।,

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा पाणुन्द पटवार हल्का पाणुन्द तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 98 की आराजी न. 1008, 1010 किता 2 रकबा 0.3800 है. भूमि में वादीया को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 18/24 (वाद)

GCMS NO: 2024/54

अनवान

1. श्रीमती देवीबाई पुत्री गोविन्दा जी ओदिच्य जाति ब्राह्मण निवासी पाणुन्द तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

.........वादीया

बनाम

1. श्री तुलसीराम पिता गोविन्दा जी ओदिच्य जाति ब्राह्म्ण निवासी पाणुन्द तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्री नाथूलाल पिता गोविन्दा जी ओदिच्य जाति ब्राह्म्ण निवासी पाणुन्द तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती मांगीबाई पुत्री गोविन्दा जी ओदिच्य जाति ब्राह्मण निवासी पाणुन्द तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
4. श्रीमती पन्नी पत्नी गोविन्दा जी ओदिच्य जाति ब्राह्मण निवासी पाणुन्द तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
5. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार/ उप पंजियक कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

...........प्रतिवादीगण

उपस्थित–

1. श्री मोहम्मद साजिद गौरी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री उमेश माली, अधिवक्ता प्रतिवादी।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>मुकदमा न. : 18/24 (वाद)</u>

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:– परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा पाणुन्द पटवार हल्का पाणुन्द तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 98 की आराजी न. 1008, 1010 किता 2 रकबा 0.3800 है. भूमि में वादीया को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । बराब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 03.11.2025 को जारी की गई।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर